UNIT-3

Q. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान आप किस प्रकार करेंगे!

उ. प्रस्तावना :→

प्रत्येक विद्यालय में जहाँ सामान्य बालक होते है, वहाँ बहुत से शिक्षार्थी ऐसे भी होते है जो किसी न किसी रूप मे अन्य शिक्षार्थियो से विशिष्ट होते है। यह विशिष्टता शारीरिक अथवा मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। प्रायः देखा जाता है कि विशिष्ट बालक अपनी आयु के सामान्य बालको से कुछ अपनी खास विशेषताओ या खास कमियो के कारण या तो अधिक प्रतिभाशाली होते है या मंदबुद्धि वाले।

विशिष्ट बालक :→

विशिष्ट बालक एक ऐसा बालक होता है जिसके कुछ ऐसे लक्षण होते है जिनके कारण दूसरे व्यक्ति उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित होते है, विशिष्ट बालक अपने आपको सामान्य बालको से अलग रखते है। कक्षा मे वे सबके साथ मिलकर नही रह पाते। वे समाज मे भी अपना अलग स्थान बनाए रखना चाहते है हमे ऐसे बच्चो की पहचान जल्दी से जल्दी करनी चाहिए क्योकि जितनी जल्दी हम इनकी पहचान करेंगे उतनी ही जल्दी हमे इनकी समस्याओ को दूर करने मे आसानी होगी।

क्रो एण्ड क्रो के अनुसार :→

"विशिष्ट शब्द ऐसे गुण के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमे वह विशिष्ट व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से भिन्न होता है।"

Scanned with CamScanner

विशिष्ट बालको की पहचान

- शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक
  - (क) दृष्टि दोष
  - (ख) वाणी दोष
  - (ग) श्रवण बाधित
  - (घ) शारीरिक दोष
    1. अपंगता
       - > कम अपंगता
       - > गंभीर अपंगता
    2. विशेष अपंगता
       - > बिमारी
       - > अर्धांग
       - > मस्तिष्क लकवा
       - > दुर्बलता
- स्वास्थ्य दोष
- बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक
  - (क) प्रतिभाशाली
  - (ख) सृजनशील
  - (ग) अधिगम असमर्थ
  - (घ) मन्द बुद्धि
    1. जड़ बुद्धि (25 से कम) I.Q
    2. मूढ़ बुद्धि (26-50)
    3. मूर्ख बुद्धि (51-75)
- सामान्य रूप से पिछड़े बालक
- समस्यात्मक बालक
- संवेगिक रूप से परेशान बालक
- असमायोजित बालक
- वंचित बालक
- अपराधी बालक

Scanned with CamScanner

(1) शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के लक्षण:-

(a) शरीर के अंगो मे असंतुलन
(b) जोड़ो मे दर्द
(c) शारीरिक श्रम मे असमर्थता
(d) थकान का अनुभव
(e) माँसपेशियो मे असंतुलन
(f) चलने फिरने मे कठिनाई
(g) भारी सामान उठाने मे कठिनाई
(h) कृत्रिम अंगो का प्रयोग
(i) चलते समय सहारा लेना
(j) झुक-कर कार्य करने मे असमर्थता

1.9 दृष्टि दोष बालक:-

(a) बार-बार आँखो को मसलना
(b) आँखो से पानी बहना
(c) सिरदर्द रहना
(d) लिखित सामग्री पढ़ने मे असमर्थ
(e) प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता
(f) आँखो का आकार असामान्य
(g) आँखे लाल रहना
(i) एक आँख से देखने का प्रयत्न
(j) पलको का असामान्य होना
(k) आँखो को बार-2 झपकाना
(l) आँखो पर जोर देना
(m) रंग भेद मे असमर्थ
(n) आँखो में तिरछापन
(o) समायोजन मे मुश्किल
(p) पठन मे कठिनाई
(q) लेखन मे कठिनाई

1.b वाणी दोष बालक :→

(a) आवाज मे भारीपन

(b) रुक - रुक बोलना

(c) अशुद्ध उच्चारण

(d) हकलाना

(e) वाक्य के आरंभ या अन्त मे रुकना

(f) अपनी बात जल्दी खत्म करना

(g) अंगीय दोष

(h) कम सुनने के कारण

(i) सदमे के कारण

(j) दुर्घटना के कारण

(k) तुतलाना

(l) भय के कारण

(m) शर्म व क्रोध के कारण

1.c श्रवण दोष बालक :→

(a) सुनने के लिए आवश्यकता से अधिक उत्सुकता

(b) कान से कोई तरल पदार्थ बहना

(c) पढ़ाई मे मन ना लगना

(d) अध्यापक की तरफ पूरा ध्यान ना देना

(e) अध्यापक द्वारा बार - बार बुलाने पर जवाब देता हो।

(f) अध्यापक के प्रश्न का उत्तर विषय वस्तु से हटकर देता हो

(g) अध्यापक की आवाज की अपेक्षा होठो और शारीरिक गतिविधियो पर ध्यान

(h) कान मे बार - बार अंगुली, पेन या पेन्सिल डालता हो।

Scanned with CamScanner

1.d शारीरिक दोष
(a) लड़खड़ाकर चलना
(b) अंगों मे असंतुलन
(c) चलते समय सहारा लेना
(d) शरीर के विशेष भागों मे
(e) दर्द की शिकायत
(f) चलने फिरने मे कठिनाई
(g) थकान का अनुभव
(h) भारी सामान उठाने मे असमर्थ
(i) मांसपेशियों मे असन्तुलन

> अपगंता

* कम अपगंता :- इस श्रेणी मे वे बालक आते है जिनको अपनी अपंगता के कारण किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नही पड़ती तथा उन की दिनचर्या भी अपगंता के कारण प्रभावित नही होती।

* गंभीर अपंगता :- गंभीर अपंगता से प्रभावित बालक को अपने आने-जाने के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तथा उसकी दिनचर्या मे इससे व्यवधान पड़ता है।

> विशेष अपंगता :-

इस श्रेणी मे ऐसी अपंगता आती है जो किसी विशेष कारण से होती है।

* बिमारी
* अंग-भंग
* मास्तिष्क लकवा
* दुर्बलता

2. स्वास्थ्य दोष

(a) शरीर से हमेशा सुस्त रहना

(b) साँस फूलना

(c) कम साँस आना

(d) स्वभाव मे रुखापन

(e) चिड़चिड़ापन होना

(f) तेज स्वभाव

(g) गुस्सा अधिक आना

(h) धैर्य मे कमी

(i) शरीर मे वजन की कमी

(j) भूख का कम लगना

(k) शरीर मे दर्द का अनुभव

(l) खाँसी जुकाम, सर्दी गर्मी बने रहना

(m) समायोजन मे असमर्थ

3. बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक

बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालको की पहचान बुद्धि परीक्षणो के द्वारा की जाती है। 90 से 110 तक की बुद्धि-लब्धि I.Q वाले बालको को सामान्य मानकर अन्य बालको को विशिष्ट बालको की श्रेणी मे रखा जाता है।

➤ प्रतिभाशाली :-

प्रतिभाशाली बालको मे सामान्य बालको की अपेक्षा कुछ विशेष योग्यताएँ होती है। अपनी विशिष्ट योग्यताओ के कारण ये राष्ट्र को नई दिशा देते है।

➤ सृजनशील :-

यदि बालक (सृजनशील) कुछ भी नया करता है तो वह बालक सृजनशील है। सृजनशीलता से नए विचारो की प्राप्ति होती है।

Scanned with CamScanner

› अधिगम असमर्थ :-

इस प्रकार के बालको की बुद्धि-लब्धि 75-90 तक होती है। देखने मे यह सामान्य बालको की तरह लगते है। इस प्रकार के बालक किसी भी कार्य को समझने मे काफी समय लगाते है तथा कोई भी कार्य धीमी गति से करते है।

› मन्द बुद्धि :-

जिन बालको की बुद्धि-लब्धि सामान्य बालको से कम होती है उसे हम मन्द बुद्धि बालक कहते है।

(a) जड बुद्धि :-

जिन बालको की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है ऐसे बालक स्वयं की रक्षा करने मे असमर्थ होते है।

(b) मूढ बुद्धि :-

जिन बालको की बुद्धि-लब्धि 26 से 50 तक होती है। ऐसे बालको को उचित प्रशिक्षण के द्वारा अपनी देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

(c) मूर्ख बुद्धि :-

जिन बालको की बुद्धि-लब्धि 51 से 75 तक होती है वे मूर्ख बुद्धि कहलाते है। अपनी कुछ योग्यताओ के कारण मूढ बुद्धि बालको से अच्छे होते है।

5. सामान्य रूप से पिछड़े बालक :-

जो सामान्य बच्चो से मानसिक रूप मे पिछड़े होते है इनकी बुद्धिलब्धि सामान्य से कम होती है यह अपनी बुद्धि और पहल के आधार पर स्वयं कार्य करने मे असमर्थ होते है।

Scanned with CamScanner

5. समस्यात्मक बालक :-

इन बालको का मुख्य उद्देश्य कक्षा मे अध्यापक या दूसरे बालको के लिए समस्या पैदा करना है। यह बालक सामान्य भी हो सकते है या फिर प्रतिभावान, सृजनशील, मन्द बुद्धि या पिछड़े बालक भी हो सकते है।

6. सांवेगिक रूप से परेशान बालक :-

ऐसे बालक परिवार के सदस्यो, संगी-साथियो तथा अध्यापको के पक्षपाती एवं हतोत्साहित करने वाले व्यवहार के कारण सांवेगिक रूप से विचलित हो जाते है।

7. असमायोजित बालक :-

ऐसे बालक किन्ही असमानताओ व समस्याओ के कारण सांवेगिक समाज, परिवार व साथियो मे अपना समायोजन नही कर पाते है। फलस्वरूप ये या तो एकांकी जीवन व्यतीत करना पसंद करते है या उग्र प्रवृति के बन जाते है।

8. वंचित बालक :-

वंचन की स्थिति बालको मे सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषमताओ के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त निम्न सामाजिक, आर्थिक स्तर के बच्चे भी इसी श्रेणी मे आ जाते है जोकि परिवार की निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति होने के कारण अपनी योग्यताओ का विकास नही कर पाते है।

Scanned with CamScanner

9. अपराधी बालक :-

ये वे बच्चे होते है जिनमे बचपन से ही अपराध करने और गैर-कानूनी काम करने की प्रवृति पाई जाती है, जैसे चोरी करना, घर से भाग जाना, नशा करना आदि।

- ऐसे बच्चे समाज के नियमो तथा आदर्शो अवहेलना करते है।
- ऐसे बच्चो के व्यवहार पर अधिकतर वातावरण का प्रभाव होता है।
- ऐसे बच्चो मे अपराध करने की प्रवृति वंशानुगत भी पाई जाती है।
- कानून व नियमो का पालन ना करना।
- कानून को हाथ मे लेना।
- नशा करना।
- हमेशा लड़ाई के लिए तैयार।

निष्कर्ष :-

घर-परिवार, विद्यालय व समाज का यह कर्तव्य बनता है कि वह विशिष्ट बालको की पहचान करके उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबन्ध करे। इनकी पहचान करने के लिए हमे मनोवैज्ञानिको, मनोचिकित्सको व चिकित्सको का सहयोग अति आवश्यक है। हम जितनी जल्दी इस प्रकार के बालको की पहचान करेंगे उतनी ही जल्दी हमे इनकी समस्याओ को दूर करने मे आसानी होगी।

Scanned with CamScanner

प्र०२. समावेशी विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं, असमर्थन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए।

उ० प्रत्येक बच्चे को अपनी वृद्धि, विकास एवं अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं का इष्टतम विकास करने हेतु शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है तथा इस अधिकार को प्राप्त करने का मार्ग समावेशन है। समावेशी शिक्षा प्रणाली एक प्रकार लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत हमें अनेक आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक समायोजन करने की जरूरत होती है।

समावेशी विद्यालय :-

समावेशी विद्यालय वह विद्यालय होता है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। समावेशी विद्यालय में सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए। समावेशी कक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था करना अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। समावेशी कक्षा में विभिन्न कौशल स्तर वाले बच्चे होते है। समावेशी कक्षा कक्ष में बाधित तथा सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए कक्षा कक्ष में बाधित तथा सामान्य बच्चों के बैठने की व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

विद्यालय के कक्षा-कक्षों से संबंधित फर्नीचर को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है-

(1) आवश्यक प्रकार का फर्नीचर
(2) अनावश्यक प्रकार का फर्नीचर

Scanned with CamScanner

कक्षा के आवश्यक प्रकार के फर्नीचर

1. मेज कुर्सियाँ (विद्यार्थियो हेतु)
2. बेंच
3. चटाईयाँ
4. चाक बोर्ड
5. अध्यापक हेतु कुर्सी
6. नक्शे का स्टैंड
7. नोकदार संकेतक

कक्षा के आवश्यक प्रकार के फर्नीचर

1. अध्यापक के प्रयोग हेतु मेज
2. चार्ट आदि रखने हेतु स्थान
3. पंखा
4. बल्ब, ट्यूबलाईट
5. अलमारी
6. नोटिस बोर्ड
7. उपस्थित बोर्ड
8. नक्शा रखने का स्टैंड
9. फूलदान
10. पर्दे

लेखन आधार और बैठने की व्यवस्था

आज भी हमारे देश के अधिकतर प्राथमिक विद्यालयो मे छात्रो के बैठने हेतु चटाइयां तथा बेंचो का पर्याप्त अभाव तथा कमी है। हमारे देश मे विद्यालयो की दुर्दशा का प्रभाव छात्रो के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यालयो की दुर्दशा का कारण पैसे की कमी नही अपितु विद्यालय के अधिकारियो को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का अभाव होना है।

कक्षा-कक्ष से संबन्धित समुचित सामग्री की विशेषताओ का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है:-

1. सीटो के प्रकार
2. लेखन आधार
3. बैठने के स्थान
4. कक्षा मे सीटो का प्रबन्ध

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समावेशी कक्षा मे बैठने की व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समावेशी विद्यालय मे अध्यापको का असमर्थ बालको के प्रति सकारात्मक व्यवहार भी मुख्य भूमिका निभाता है। सहयोगात्मक कार्य समावेशी विद्यालय की सफलता मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

सम्पूर्ण कक्षा शिक्षण :-

सम्पूर्ण कक्षा मे प्रत्यक्ष शिक्षण प्रचलित परंपरागत शिक्षण का सर्वाधिक पुराना तरीका है। यह सबसे अधिक उपयुक्त शैली है। जिससे अभिभावक व विद्यार्थी उम्मीद करते है। जब बालक विद्यालय मे प्रवेश करता है या घर से निकलता है तो केवल यही उसके दिमाग मे होता है कि उसे सम्पूर्ण शिक्षा मे कक्षा शिक्षण का सामना करना है। पूर्ण कक्षा मे अधिकतर समय प्रत्यक्ष शिक्षण या तो अत्यधिक पुनरावृति वाला या कक्षा के विद्यार्थियो के एक विशिष्ट समूह के लिए आसान या अग्रणी एवं अधिकांश विद्यार्थियो के लिए सरल होता है। ऐसा कक्षा शिक्षण बाधित या विशिष्ट आवश्यकताओ वाले बालको की कोई मदद नही करता।

समावेशी शिक्षा मे बाधित तथा विकलांग बच्चो के लिए शैक्षिक रियायते एवं सुविधाओ का वर्णन :-

शिक्षा के कारण समाज मे आई जागृति से पहले तक शारीरिक एवं मानसिक रूप से पहले तक शारीरिक एवम् मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्तियो को हेय की दृष्टि से देखा जाता था। सामाजिक चेतना और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण धीरे-धीरे लोगो के दृष्टिकोण मे आवश्यक परिवर्तन आने लगा तथा वे शारीरिक एवम् मानसिक रूप से ग्रस्त लोगो को समाज का एक अंग मानने लगे। इसके लिए समय के साथ-साथ शारीरिक एवम् मानसिक रूप से ग्रस्त बच्चो हेतु विशेष शैक्षिक रियायते एवम् सुविधाओ की आवश्यकता महसूस होने लगी। फलत: इन बच्चो की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए केन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा अनेक योजनाएं लागू कर, इन्हे शैक्षिक रियायते एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है :-

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ :-

विशेष शैक्षिक आवश्यकताओ वाले बच्चो हेतु विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से है :-

१) पेंशन योजना :-

ऐसे असहाय विकलांग व्यक्ति जिनकी मासिक आय रूपये २२५/- से कम है।

को 125/- प्रति माह की दर से भरण पोषण अनुदान प्रदान किया जाता है। हाल- फिलहाल इस पेंशन योजना से 1.40 लाख के लगभग विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हो रहे है।

२२) कृत्रिम अगं अथवा सहायता उपकरण :-

विकलांग कल्याण विभाग के तहत विभिन्न स्तर के विकलांगो को उनकी जरूरतो के अनुसार 1,000 रूपये की सीमा तक के कृत्रिम अगं अथवा सहायता उपकरण प्रदान किये जा रहे है। यह सुविधा रूपये से कम मासिक आय वाले विकलांगो के लिए देय है।

२३) छात्रवृति योजना :-

छात्रवृति योजना ऐसे अध्ययनरत विकलांग बालको के लिए चलाई गई है! जिनके माता-पिता की मासिक आय २००० रूपये से कम है। इस योजना के तहत पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक बच्चो को २५ रूपये प्रतिमाह, छठी कक्षा से आठवी कक्षा तक 40 रूपये प्रतिमाह, नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 85 रूपये प्रतिमाह, स्नातक कक्षाओ मे 125 प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर एवम् अन्य व्यावसायिक संस्थाओ मे अध्ययनरत बालको को 170 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जा रही है इस योजना से २०,२०० बालक प्रतिवर्ष लाभान्वित हो रहे है।

२४) विकलांग से विवाह करने पर पुरस्कार :-

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत विवाहित जोडे को अगर पति विकलांग है तो 11,000 रूपये की धनराशी तथा पति

पत्नी दोनो विकलांग है तो 14,000 रुपये की धनराशी अनुदान के रूप में प्रोत्साहन रूप पति - पत्नी दोनो को प्रदान की जायेगी।

(5) दुकान निर्माण योजना :-

इस योजना के तहत परिश्रमी विकलांगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के ध्येय से 20 हजार रुपये तक की धनराशी दुकान निर्माण के लिए प्रदान की जाती है। जिसे 5,000 रुपये अनुदान तथा अन्य दर पर 15,000 रुपये का ऋण शामिल है।

(6) विभागीय संस्थाए :-

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश मे विभिन्न श्रेणी के विकलांगो हेतु अनेक स्कूल भी खोले गए है साथ ही कुछ निजी संस्थाओं को भी मदद दी जा रही है।

(7) विशिष्ट विकलांगो को राज्य स्तरीय पुरस्कार :-

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश मे विभिन्न श्रेणी के प्रतिभाशाली विकलांगो को प्रतिवर्ष महामहिम राज्यपाल के कर कमलो से विकलांग दिवस पर राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते है।

विकलांग जन अधिनियम 1995

विकलांग जन अधिनियम, 1995 के द्वारा समाज मे विकलांगो को विशेष महत्व दिये जाने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम के तहत अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ चलाई गई है!- कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित है!-

(1) राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करना।
(2) विकलांगो को प्रोत्साहन।
(3) विकलांगो को जन-सम्मान के अवसर उपलब्ध।
(4) अनाश्रित बच्चो हेतु भरण-पोषण संबंधी अनुदान।
(5) शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी प्रावधान!
(6) रोजगार देने की व्यवस्था।
(7) अनुसंधान कार्य प्रोत्साहित।
(8) रियायती दरो पर भूमि आवंटित।
(9) अनेक संस्थानो का गठन।
(10) अधिनियम के अन्तिम अध्याय मे प्रावधानित व्यवस्था को भंग करने मे 20 हजार रुपये तक का जुर्माना तथा 2 साल तक की सजा का प्रावधान दण्ड स्वरूप किया गया है।
(11) इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता मे एक केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किए जाने की व्यवस्था की गई।
(12) इस अधिनियम के तहत हरेक राज्य मे एक-एक राज्य समन्वय समिति गठित की जाती है।
(13) इस अधिनियम की धारा 26 से 31 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानो के तहत यह सुनिश्चित कि 18 वर्ष से कम आयु वाले विकलांग बच्चो हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा।

Scanned with CamScanner

बच्चो की शिक्षा हेतु वित्त प्रबन्ध :-

(1) आवश्यकता अनुरूप शिक्षण देना।
(2) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थान मे शिक्षा प्रदान करना।
(3) सामान्य बच्चो के साथ शिक्षण करते हुए स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चो की संख्या मे कमी लाना।
(4) विशिष्ट आवश्यकताओ की प्राप्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
(5) व्यावसायिक प्रशिक्षण।

बाधित बच्चो के लिए परीक्षा संबंधी छूट व रियायते :-

(1) बाधित बच्चो को लेखक रखने की अनुमति प्रदान की जाती है, यदि व बच्चा लिखने मे असमर्थ हो।
(2) बाधित बच्चों को परीक्षा मे अतिरिक्त समय देने का प्रावधान।
(3) असमर्थ बच्चो के लिए निकटतम स्थान पर परीक्षा केन्द्र देने का प्रावधान किया जाता है।
(4) बाधित बच्चो के लिए डाक्टरी सर्टीफिकेट प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है।
(5) गुंगे, बहरे तथा अधिगम असमर्थी बच्चो के लिए प्रश्न पत्र की व्याख्या करने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय देने की व्यवस्था की जाती है।

सहयोग :-

सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनो प्रकार का हो सकता है. अप्रत्यक्ष सहयोग कक्षा से बाहर अध्यापक द्वारा बच्चो की आवश्यकता पूर्ति के लिए योजना बनाने से संबंध रखता है। सहयोगी सलाह, समकक्ष सहयोग और अध्यापक सहयोग की टीम अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप है

सहयोग की आवश्यक शर्ते :-

(1) सहयोग स्वैच्छिक ।
(2) सहभागियो के मध्य सामंजस्य।
(3) मूल्यांकन की स्वतंत्रता
(4) क्रियान्वन के लिए प्रोत्साहित।
(5) समानता ।
(6) पारस्परिक सहमति ।
(7) साझा उत्तरदायित्व ।
(8) सहमतिपूर्ण उद्देश्य।
(9) सामूहिक रूप से जिम्मेदार।
(10) सहयोगात्मक ।

उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि कोई अध्यापक एक दूसरे मे गलती खोजने वाली प्रकृति का नही होना चाहिए। यह सुझावो व विचारो का नकारात्मक विश्लेषण करने वाला नही होना चाहिए। टिप्पणियां अगर कोई है तो सकारात्मक एवं टीम की सहायता एवं सहयोग करने वाली होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

सहयोग के लाभ:-

(1) नए विचारो का विकास।
(2) संसाधनो का सदुपयोग।
(3) पाठ-योजना के विचार।
(4) सामाजिक योजना का अनुभव।
(5) सहयोगी संचारतंत्र का विकास।
(6) समुचित जागरूकता।
(7) समस्या निदान में सहयोग।

निष्कर्ष:-

भारत मे आजादी के पश्चात केन्द्र सरकार एवम् अन्य गैर-सरकारी संगठनो ने इस दिशा मे अहम प्रयास आरम्भ किए। आरंभ मे यह विचार बना कि शारीरिक एवम् मानसिक रूप से ग्रस्त बच्चो हेतु अलग से विद्यालय स्थापित किए जाए तथा इन्हे अलग से शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन शिक्षा-शास्त्रियो, मनोवैज्ञानिको एवं मनोचिकित्सको के अनुसार जो बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक ग्रस्त नही है, उनको सामान्य बालको के साथ समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती चाहिए।

Scanned with CamScanner